न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुरड़ा बनाम [illegible] सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दा.10/	मु.नं. - 122/2021
06.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 06/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
122 / 2021	2021 / 279	24.09.2021	06.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. कुरड़ा पुत्र भीखा आयु 76 वर्ष, जाति बलाई निवासी निवासी हाउस नम्बर कॉलोनी ऐरिया, पोसाना सीटी, झूंझूंनू जिला झूंझूंनू राजस्थान

---वादी

बनाम्

1. अजीतसिंह पुत्र हणमान सिंह
2. चरतसालसिंह पुत्र हणमानसिंह
3. छोगसिंह पुत्र हणमान सिंह
4. फतेहसिंह पुत्र हणमान सिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जोरावरनगर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

5. आरजू कंवर पुत्री संग्राम सिंह
6. बिट्टूसिह पुत्र संग्राम सिंह
7. सरोज कंवर पत्नी संग्राम सिंह
8. ओम कवंर पुत्री आसुसिंह
9. झबरू सिंह पुत्र आसु सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

10. प्रभुसिंह पुत्र आसु सिंह

11. रेशम कंवर पुत्री आसु सिंह

12. ओम सिंह पुत्र नाहर सिंह

13. मीना कंवर पुत्री नाहरसिंह

14. बिमला कंवर पुत्री नाहर सिंह

15. कैलाश कंवर पुत्री लाल सिंह

16. भवानीसिंह पुत्र लालसिंह

17. सज्जन कंवर पत्नि लालसिंह

18. भवानी सिंह पुत्र लादुसिंह

19. मंजु देवी पुत्री मोहन सिंह

20. सदा कंवर पुत्री ईन्द्रसिंह

समस्त जीति राजपुत निवासी ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

21. कमली देवी पत्नि भोमाराम

22. भोमाराम पुत्र लालाराम

23. सुरजा देवी पत्नि गिरधारीलाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

24. सतीश कुमार पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

25. हनीफ खां पुत्र झथा खां [illegible] निवासी ग्राम जोरावरनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

26. पतासी देवी पत्नि मंगलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

27. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 27 की ओर से

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.05 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 3.39 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जोरावरनगर पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसका वादी हिस्सा 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वादी ने उक्त भूमि इसके पूर्व [illegible] भागीरथसिंह के वारीसान से जरिये विक्रय लेख दिनांक 23.02.20[illegible] से उनके पूर्ववत् चले आ रहे कब्जे का ज्यों का त्यो भूमि खसरा नम्बर 138 [illegible]बा 3.39 हैक्टर में प्राप्त किया था और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23

उसी पर काबिज काश्त चला आ रहा है क्योंकि खातेदारो ने बाहमी बंटवारे के अनुसार अपना—अपना कब्जा मौके पर भौतिक रूप से कर रखा था। वादी अवस्थित भूमि से काफी दूर झुझुंनू का निवासी है और अपनी क्रयशुदा भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से विधिक तकास्मा करवाना चाहता है ताकि विद्युत कनैक्शन, पम्पसेट निर्माण व अन्य राजकीय सहायता प्राप्त करने में होने वाली असुविधा से बचा जा सकें। उक्त वर्णित भूमियां ग्राम आबादी के निकट होने से अधिकांश पूर्व खातेदार ने दीगर को विक्रय कर दिया। इस कारण इतने अधिक काश्तकारो से हर बार एन.ओ.सी. प्राप्त करने में वादी को काफी असुविधा होती है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन करया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि को बाला—बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये ही भूमियो को दीगर भूमाफियो को विक्रय कर कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिर्वितत करने की धमकीया दे रहे हैं व वादी को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकीया दे रहे हैं । जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादी को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमि को बढती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदनीयती आने पर दीगर भूमाफियाओ को विशिष्ठ भू—भाग पर कब्जा कराने पर आमादा हैं। कहने सुंनने से मान नहीं रहे है तथा धमकी दे रहे है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 26 ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए वादी ने उक्त भूमियों का बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 26 को कहा तो वे आजकल करते रहे तथा दिनांक 15.09.2021 को प्रतिवादीगण ने भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार करने पर वाद कारण पैदा होने पर दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादग्रस्त आराजी भूमियों का विधिक विभाजन कर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जाकर अलग–अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 27 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 27 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी कुरड़ा पुत्र भीखा का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 26 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी का राजस्व रिकार्ड अलग [illegible] लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने तथा जिस पक्षकार ने अपना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हिस्सा बैंक रहन रख रखा है उसका हिस्सा बंटवारे में आई उनके हिस्से की भूमियों पर दर्ज करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी ने वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 04.05.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 996/रीडर/2022 दिनांक 06.06.2022 एंव पुनः पत्रांक 1409/रीडर/2022 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 620/भू.अ./2023 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नज[illegible]क्शा [illegible] प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.04.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने – अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम [illegible] वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 04.04.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार

विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव						
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा		प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. कुरड़ा पुत्र भीखा जाति बलाई		724 / 138	0.2900		
	योग खाता		किता – 1	0.2900		
2	समस्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 23		722 / 138 724 / 138 मिन्	[illegible]20		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

		723 / 138			
	योग खाता	किता – 3	3.20		

(खसरा नम्बर 723 / 128 के रास्ता पूर्व दिशा में लगता हुआ। मूल खसरा नम्बर 138 की उत्तरी सीमा से खसरा नम्बर 139 की उत्तरी सीमा तक)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 620 / भू.अ. / 23 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested